

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत... मुकाम...

इनायती बनाम...

किस्म मुकदमा... नं. 134/2021 सन...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/08/2021	<p>प्रमर्षी/वादी/अपीलान्ट के वकील श्री ने यह प्रमर्षन पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान कोशतकारी/भू रजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रमर्षी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19/11/2021 को पेश हो।</p>	
19/11/2021	<p>वादी के वकील उपरि-पत्रावली प्रतिवर्ती/गो के सम्पन नामिल नामिल सजावा/जमान पीवलीन मयिशी प्रमाण पत्रों के संग इतिमान - 2021 के मयों में ब्या-प होने में मिशाल ईलवा/टोडा मयामा दिनांक - 02/05/2022 को पेश हो/ह</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p>
02/05/2022	<p>वादी के वकील उपरि-पत्रावली/प्रतिवर्ती-गो के सम्पन नामिल नामिल सजावा/इन्तजान टोडा पभावल दिनांक - 12/07/2022 को पेश हो/ह</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p>

12/07/2022

वादीनी के वहील उपस्थित/प्रतिकारिगणों
के सम्मन तामिल आम तामिल अग्रत/इन्तजार
दोहर पभावली दिनांक 25/07/2022 को पैवा ही/

25/07/2022

वादीनी व वादीनी के वहील उपस्थित/प्रतिकारिगणों
वादीनी व वादीनी के अधिकार द्वारा एउ
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया
की हम वादीनी व प्रतिकारिगणों के मध्य
आपसी राजीनामा गैर के मौजिज लोगों
द्वारा करवा दिया है हम आपस में अब
राजीबजी हो गये हैं इसलिए हम उक्त
वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा
वाद पुनः पैवा करने के अधिकार सुरक्षित
रखते हुए जरिये विडोवल वाद च्यारीज किया
जावे। अतः वादीनी व वादीनी के अधिकार
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर
वादीनी के वाद को पुनः पैवा करने के अधिकारों
को सुरक्षित रखते हुए वादीनी के वाद को
जरिये Not press च्यारीज किया जात है
पभावली फेल्ल सुमा दोहर इज नबर में
उम ही, हाथिल इच्छत ही/

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर